न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 112/2023

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. रड़माराम पुत्र सकाराम जाति मेगवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी	1. नीम्बाराम पुत्र सकाराम 2. रामूदेवी पत्नी सकाराम जाति मेगवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी सं. 3 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 19.03.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थीगण वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा गादेसरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 118/2 रकबा 1.3996 हैक्टेयर, खसरा संख्या 39/6 रकबा 2.9933 हैक्टेयर, खसरा संख्या 67/4 रकबा 0.2427 हैक्टेयर कुल रकबा 4.6356 हैक्टेयर का अवस्थित है, जिसमें वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 मुतवफी सकाराम के विधिक उतराधिकारी है सकाराम [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 नीम्बाराम व पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 रामूदेवी है, जिसका इस [illegible] में बहिस्सा बराबर 1/3 –1/3 हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड में पक्षकार के [illegible] है, लेकिन राजस्व रे[illegible] खाता अभी संयुक्त है तथा उपरोक्त हिस्सो के अनुसार हम पक्षकार मौके पर काबिज हैं। [illegible] मौके पर किसी प्रकार की माठ बनी हुई नही है तथा कानूनी बंटवारा किया हुआ नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की खातेदारी मे हस्तक्षेप करते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो वादी के सगा भाई व माता है, जिसने वादी की बिना सहमति से बिना बंटवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:17:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

करवाये भूमि का बैचान कर दिया गया है। उक्त बैचान के आधार पर वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन में हस्तक्षेप कर रहे है। वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने का अधिकार प्रतिवादीगण को नही है। वादग्रस्त आराजी का खाता अभी संयुक्त है कोई भी सहखातेदार बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये विशिष्ट भू भाग का बैचान नही कर सकता है। इस प्रकार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है, जिनके किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि बैचान करने का अधिकार नही है। कानूनन यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा को बैचान करना चाहता है तो सर्वप्रथम क्रय, खरीद करने का अधिकारी वादी है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व विप्रार्थीगण सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज है और सभी का काश्त व कब्जा संयुक्त चला आ रहा है मगर वर्तमान समय में भूमि के भावो में बढ़ोतरी होने के कारण विप्रार्थीगण बिना अपना हिस्सा तय करवाये व बिना बंटवारा करवाये बैचान करने पर उतारू है व प्रार्थी को भी विप्रार्थीगण द्वारा धमकी दी कि तुम अपना हिस्सा हिस्सा हम जिसे बैचान कर रहे है उन्हे बैचान कर दो अन्यथा हम लोग हमारे हिसाब से बैचान कर लेंगे। अगर उनके द्वारा बिना घोषणा व बिना बंटवारा के बैचान कर दिया गया तब अनजान केता वादग्रस्त आराजी में अच्छी किस्म की व प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज हो जावेगा व अनजान केता के मध्य विवाद भी उत्पन्न होगा। इस कारण विप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विप्रार्थीगण बिना बंटवारा के किसी भी अनजान केता को वादग्रस्त आराजी का बैचान नहीं करे व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थी के वकील के तथ्यों के पर विप्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस के दौरान प्रार्थी के तथ्यों पर स्वीकारोक्ति देते हुए तर्क दिया है कि पक्षकारान के मध्य बाहमी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है, परन्तु पक्षकारान के मध्य विधिवत रेकर्डेड बंटवाड़ा नहीं किया हुआ है, ऐसी स्थिति यदि अदालत उचित समझे, तो विधिवत बंटवाड़ा नही हो तब तक कब्जे काश्त के अनुरूप काबिज पक्षकारान की भूमि पर किसी पक्ष द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने हेतु दोनों पक्षों को पावन्द किया जा सकता है।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित भूमी के रिकार्डेड खातेदार है तथा मुतवफी सकाराम के पुत्र–पत्नि है। जहां तक विवादित भूमि संयुक्त सामलाती कब्जे काश्त की होने से उसके बैचान इत्यादि से मौके पर कब्जे काश्त को लेकर नया विवाद उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जंहा तक विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्वीकार किया कि"<u>यदि अदालत उचित समझे, तो विधिवत बंटवाड़ा नही हो तब तक कब्जे काश्त के अनुरूप काबिज पक्षकारान की भूमि पर किसी पक्ष द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने हेतु दोनों पक्षों को पावन्द किया जा सकता है।"</u> परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा [illegible] कथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान व मौका स्थिति में अदलाबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाती है तो प्रार्थीगण को क्षति होगी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:17:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा गादेसरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 118/2 रकबा 1.3996 हैक्टेयर, खसरा संख्या 39/6 रकबा 2.9933 हैक्टेयर, खसरा संख्या 67/4 रकबा 0.2427 हैक्टेयर कुल रकबा 4.6356 हैक्टेयर भूमि के संबंध में किसी प्रकार का बेचान अथवा अनाधिकृत अतिक्रमण इत्यादि नहीं कर वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:17:50 IST
Reason: SelfAttested